

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/16/36145-36568 दिनांक: 24/10/16

आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर पालिका (समस्त 66 शहर)

अजमेर, अलवर, किशनगढ़, बांसवाडा, भिवाडी, कुशलगढ़, बारां
छबडा, बालोतरा, बाडमेर, भरतपुर, डीग, भीलवाडा, बीकानेर,, डूंगरगढ़,
बूंदी, केशोरायपाटन, चित्तोडगढ़, तारानगर, चुरू, दौसा, बांदीकुई, धौलपुर,
बडी, डूंगरपुर, सगवाडा, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, जयपुर, विराटनगर, जैसलमेर,
पोकरण, जालौर, भीनमाल, झालावाड, झालरापाटन, झुन्झुनू, खेतडी, जोधपुर,
फलोदी, हिण्डौन, करौली, कोटा, कैथून, नागौर, पाली, मकराना, सुमेरपुर, प्रतापगढ़,
छोटी सादडी, राजसमंद, नाथद्वारा, गंगापुर सिटी, सर्वाईमाधोपुर, सीकर, खण्डेला,
सिरोही, आबूरोड, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, टोंक, देवली, उदयपुर, फतहनगर

विषय :- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के प्रथम चरण में चयनित 66 शहरों में त्वरित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी कार्यान्विति हेतु निदेशालय द्वारा समय-समय निर्देश दिये गये हैं। इस योजना को त्वरित लागू किए जाने हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम घोषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि निम्न कार्यक्रमानुसार अभियान के प्रथम चरण में चयनित 66 शहरों में त्वरित क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. जिला स्तर पर डीपीआरर्स के पुनरीक्षण पश्चात राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण में डीपीआरर्स का पुनरीक्षण (Vetting) दिनांक 25.10.2016 तक सुनिश्चित करें।
2. दिनांक 26.10.2016 तक समस्त डीपीआरर्स की जिला स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना।
3. डीपीआरर्स के पुनरीक्षण पश्चात दिनांक 27.10.2016 तक अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित करना सुनिश्चित करें।
4. दिनांक 07.11.2016 को जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत/नामित/नियुक्त समिति/अधिकारी द्वारा प्राप्त निविदाओं का खोलना सुनिश्चित करें।
5. दिनांक 10.11.2016 को जिला स्तर पर अधिकृत समिति/अधिकारी द्वारा प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति जारी किया जाना।
6. दिनांक 11.11.2016 को जिला स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत/नामित/नियुक्त अधिकारी द्वारा कार्यदेश जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
7. इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट-क पर वर्णित Steps की पालना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त निर्देशों की समयबद्ध पालना करना सुनिश्चित करें।

(डॉ०मनजीत सिंह)

प्रमुख शासन सचिव

दिनांक:

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/16/


प्रतिलिपि निम्न को :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. विशेषाधिकारी (जी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

36145-36568

24/10/16

4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
7. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
9. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
10. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री राजस्व मंत्री विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
11. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
12. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
13. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
14. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
15. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
16. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
17. विशिष्ट सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
18. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण जयपुर।
19. निजी सचिव, माननीय सांसद राजस्थान (समस्त)
20. निजी सचिव, माननीय सदस्य, राजस्थान विधानसभा (समस्त)
21. वरिष्ठ उप सचिव, सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर
22. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
23. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग
24. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
25. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी तथा संस्कृत शिक्षा विभाग
26. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
27. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि उद्यान एवं पशुपालन विभाग
28. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
29. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा.अभि. एवं भू-जल विभाग
30. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
31. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग
32. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
33. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
34. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका (चयनित 66 शहर)।
35. प्रभारी सचिव (समस्त जिले)
36. निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग
37. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान
38. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं गौ पालन विभाग
39. निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग
40. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग



41. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग
42. निजी सचिव, शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग
43. संभागीय आयुक्त (समस्त)
44. आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर
45. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
46. निदेशक, सांख्यिकी विभाग, जयपुर
47. जिला कलक्टर (समस्त)
48. क्षेत्रीय उपनिदेशक (समस्त) स्वायत्त शासन विभाग
49. आयुक्त, नगर निगम/परिषद् (समस्त)
50. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, (समस्त)
51. मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
52. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय
53. गार्ड फाईल

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव